



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2016/आषाढ़ 14, 1938

No. 279]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2016/ASADHA 14, 1938

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2016

सं.एल-7/105(121)/2007-केविआ : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, समय-समय पर यथासंशोधित, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 है;
- ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:-

- "प्रचालन प्रभार, अंतर्वर्तित प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रत्येक द्विपक्षीय संव्यवहार हेतु प्रतिदिन या दिन के भाग के लिए 1000/- रुपये की दर पर और अंतर्वर्तित प्रत्येक राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए 1000/- रुपये प्रतिदिन या दिन के भाग की दर पर आवेदक द्वारा प्रतिदेय होंगे।
- सामूहिक संव्यवहार के मामले में, एनएलडीसी प्रचालन प्रभार संबंधित पावर एक्सचेंज में संव्यवहारों के लिए एनएलडीसी द्वारा प्रादेशिक परिधि में अनुसूचित (मेगावाट घण्टे) इसकी ऊर्जा के आधार पर प्रत्येक सफल क्रेता और विक्रेता द्वारा प्रतिदेय होंगे।
- पावर एक्सचेंजों द्वारा संगृहीत एनएलडीसी प्रचालन प्रभार, दैनिक आधार पर एनएलडीसी को अंतरित किए जाएंगे। एनएलडीसी प्रचालन प्रभारों की दर, सामूहिक संव्यवहारों के लिए 1 रुपये/मेगावाट घण्टा होगी। सामूहिक संव्यवहार के मामले में, प्रत्येक सफल क्रेता और विक्रेता द्वारा प्रतिदेय एनएलडीसी प्रचालन प्रभार, एक दिन के लिए 200/- रुपये प्रतिदिन की अधिकतम सीमा तक होगी।
- पावर एक्सचेंज, एनएलडीसी को सफल भागीदारों की दैनिक सूची उपलब्ध करवाएगा जिसके साथ क्लियर की गई उनकी मात्रा और उन सफल भागीदारों पर उदगृहीत एनएलडीसी प्रचालन प्रभार होंगे।
- सफल क्रेता और विक्रेता, सामूहिक संव्यवहार के प्रत्येक स्तर के लिए अंतर्वर्तित एनएलडीसी के लिए प्रतिदिन 1000/- रुपये संदत्त करेगा।

6) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रचालन प्रभारों के उदग्रहण और अन्तःराज्यिक पारेषण प्रभारों के उदग्रहण के प्रयोजन के लिए, राज्य नेटवर्क में अन्तःक्षेपण या निकासी के प्रत्येक स्तर को पृथक् रूप से परिगणित किया जाएगा।”

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./160(150)]

टिप्पणः

1. मूल विनियम को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खण्ड 4, क्रम संख्या 10 में तारीख 7.2.2008 को अधिसूचित किए गए।
2. मूल विनियमों को निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया।
 - i. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खण्ड 4, क्रम संख्या 10 में तारीख 29.5.2009 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2009
 - ii. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खण्ड 4, क्रम संख्या 10 में तारीख 10.6.2009 को अधिसूचित शुद्धिपत्र।
 - iii. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खण्ड 4 क्रम संख्या 237 में तारीख 11.9.2013 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013
 - iv. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खण्ड 4 क्रम संख्या 237 में तारीख 12.5.2015 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2015

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2016

No.L-7/105(121)/2007-CERC.—In exercise of the powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely:-

1. Short title and commencement:

- 1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Fourth Amendment) Regulations, 2016.
- 2) These regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Regulation 17 of the Principal Regulations shall be substituted as under:-

- 1) “Operating charges at the rate of Rs 1000/-, per day or part of the day for each bilateral transaction for each of the Regional Load Despatch Centre involved and at the rate of Rs 1000/- per day or part of the day for each State Load Despatch Centre involved shall be payable by the applicant.
- 2) In case of collective transaction, NLDC operating charges shall be payable by each of the successful buyer and seller on the basis of its energy scheduled (MWh) at regional periphery by NLDC for transactions in the respective power exchange.
- 3) The NLDC operating charges collected by the power exchanges shall be transferred to NLDC on a daily basis. The rate of NLDC operating charges shall be Re 1/MWh for collective transactions. NLDC operating charges payable by each of the successful buyer and seller in case of collective transaction, for a day, shall be capped to a maximum ceiling of Rs 200 per day.
- 4) The Power Exchanges will provide NLDC with a daily list of successful participants along with their volumes cleared and the NLDC operating charges levied on these successful participants.
- 5) The successful buyers and sellers shall also pay Rs 1000/- per day for the SLDC involved for each point of the collective transaction.
- 6) For the purpose of the levy of operating charges for State Load Despatch Centre and levy of the intra-State transmission charges, each point of the injection or drawal in the State network shall be counted separately.”

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADV T III/4/Ext y./160(150)]

Note:

1. The Principal Regulations were notified on 7.2.2008 in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Sr. No. 10.
2. The Principal Regulations were amended vide
 - i. Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission)(Amendment) Regulations, 2009 notified on 29.5.2009 in Part III, Section 4, Sr. No.10 of the Gazette of India Extraordinary.
 - ii. Corrigendum notified on 10.6.2009 in Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Ser. No. 10.
 - iii. Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Second Amendment) Regulations, 2013, notified on 11.9.2013 in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Sr. No. 237.
 - iv. Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) (Third Amendment) Regulations, 2015, notified on 12.5.2015 in the Gazette of India Extraordinary Part-III, Section 4, Sr. No. 237.